

उत्तरांचल के जिला सार्वजनिक विकास अधिकारण (विश्वराजगढ़)

पत्रांक २३४/एस०बी०ए०डी०पी०/धन०आ० / 2022-23 दिनांक २ मई 2023

खण्ड विकास अधिकारी,
कनालीछीना।

विषय:- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रथम किस्त की धनराशि का आवंटन।

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष आपके विभाग को निम्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रथम किस्त के रूप में (75 प्रतिशत) ₹ 19.50 लाख (₹ 19.50 लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से आपके विभाग के जिला सहाकारी बैंक कनालीछीना स्थित खाता सं० 000934029100023 में निम्न विवरण के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है।

क्र०सं०	कार्यदायी संस्था	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि लाख ₹० में	प्रथम किस्त अवमुक्त धनराशि लाख ₹० में
1	विकास खण्ड कनालीछीना	भद्रिका में गिनी स्टेडियम का अवशेष कार्य	20.00	15.00
2	विकास खण्ड कनालीछीना	ओगला भागीचौरा मुख्य मार्ग से कोल्ड स्टोर (बाराकोट) तक हल्का वाहन मार्ग (400 मी०)	6.00	4.50
	योग-		26.00	19.50

उपरोक्त धनराशि निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त की गयी है:-

- 1- प्रत्येक कार्य के आंगणन / लागत पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- 2- योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जाय। धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण - वितरण अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
- 3- उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, मितव्ययता संबंधी आदेशों के अनुसार किया जाय एवं कार्यों की प्रगति का समय-समय पर समीक्षा / सत्यापन / मूल्यांकन / अनुश्रवण किया जाय।
- 4- प्रत्येक कार्यों के संबंध में योजनाओं का अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान किया गया है तथा योजना की अनुमोदित लागत के कार्यों को लो०नि०वि०/ग्रामीण निर्माण विभाग की प्रचलित दरों पर नियमानुसार आगणन गठित कर उनका तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से एवं आगणन पर स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाय। तकनीकी स्वीकृति उपरान्त आगणन की एक प्रति अनिवार्य रूप से डी०आर०डी०ए० कार्यालय को प्रस्तुत की जाय। इसके साथ ही कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ जो कि जी०पी०एस० युक्त हो भी उपलब्ध कराये।

अनुमोदित / निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़।
जाय।

- 6- प्रत्येक कार्ययोजना के लिए समयबद्धता निर्धारित कर प्रस्तावित योजना को क्रियान्वयन शीघ्रातिशे
वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाय।
- 7- प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों / प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी, जिनके लिए स्वीकृति की जा
किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्ययवर्तन नहीं किया जाय।
- 8- निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी।
- 9- स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति / व्यय संबंधी सूचना अद्यतन कर
तत् संबंधी सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी०एम०-13 पर प्रत्येक माह की 01 तारीख
इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
- 10- समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण निर्माण विभाग की प्रचलित-दसों-व-विशिष्टियों के अनु
उच्च कोटि गुणवत्तायुक्त सम्पादित किये जाय एवं भूकम्प अवरोधी प्रविधानों को प्राकलनों में समाविष्ट वि
जाय।
- 11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के उक्त शासनादेशों में अंकित प्राविधानों
अन्तर्गत दिनांक 31.3.2022 तक सुनिश्चित किया जाय।
- 12- समय - समय पर निर्माण कार्यों में अपेक्षित गुणवत्ता बनाये रखने हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा
प्रभावी निरीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा शासन को उपलब्ध करा
जायेगी।
- 13- अनुमोदित योजनाओं / कार्यों को स्वीकृत धनराशि के तहत समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया
जाय एवं इस धनराशि को अग्रिम आहरित कर बैंक में न रखा जाय। इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में
पुनरीक्षित धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का दुरुपयोग / अनियमितता होने पर संबंधित
का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- 14- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्य पूर्ण के उपरान्त का जी०पी०एस०
युक्त फोटोग्राफ (जिसमें कार्य का नाम, निर्माण वर्ष, कार्य की लागत एवं मद अंकित हो का फोटोग्राफ)
उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 15- प्रत्येक कार्य के विल, वाउचर एवं अभिलेख कार्यदायी संस्था अपने स्तर पर आडिट इत्यादि कार्य हेतु
सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।

- प्रतिलिपि- 1. लेखाकार एम०बी०ए०डी० पी० को इस आशय से कि लेखा अभिलेखों में इसका अंकन करना
सुनिश्चित करें।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।

Received
[Signature]